न्यायालय अपर समाहर्त्ता (जिला राजस्व शाखा), गिरिडीह।

पत्रांक 43 / रा. न्या.

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,

गिरिडीह।

सेवा में,

उपायुक्त,

गिरिडीह।

गिरिडीह, दिनांक 22 / 01 / 2019

विषयः विविध रिभीजन अपील वाद संख्या 05 / 2007-08 (छत्रधारी पाण्डेय वगैरह बनाम् रघुनन्दन सिंह एवं अन्य) का मूल अभिलेख का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विविध रिभीजन अपील वाद संख्या 05 / 2007-08 (छत्रधारी पाण्डेय वगैरह बनाम् रघुनन्दन सिंह एवं अन्य) सा0 कैरीडीह, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह का मूल अभिलेख अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0: यथोक्त। विविध रिभीजन अपील वाद संख्या 05 / 2007-28 (छत्रधारी पाण्डेय वगैरह बनाम् रघुनन्दन सिंह एवं अन्य) का मूल अभिलेख।

विश्वासभाजन,

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

e:\mamta kumari\cnt\general letter mamta.docx

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एंव हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

19.01.19

विविध रिभीजन वाद सं0 05/2007--08

छत्रधारी पाण्डेय वगैरह बनाम रघुनन्दन सिंह एवं अन्य
पिता ठाकुर पाण्डेय पिता खागो सिंह
ग्राम कैरीडीह, जमुआ ग्राम कैरीडीह, जमुआ

आदेश

यह अभिलेख अपीलार्थी श्री छत्रधारी पाण्डेय पिता ठाकुर पाण्डेय एवं अन्य साकिन-- कैरीडीह, थाना-- जमुआ, जिला-- गिरिडीह द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह न्यायालय के विविध वाद सं0 182/2007--08 रघुनन्दन सिंह बनाम छत्रधारी पाण्डेय वगैरह में दिनांक 04.02.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
कैरीडीह	577	40	148	1.11 एकड़
			147	0.16 एकड़
			कुल:--	1.27 एकड़

अपील वाद को विचारण हेतु स्वीकृत कर पक्षकारों को सूचना निर्गत कर भिन्न--भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई। सुनवाई के कम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसे भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा सन् 1935 ई0 में प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी का दावा के नाम सादा हुकुमनामा द्वारा बन्दोबस्त की गई थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जमीन्दारी उन्मूलन के वाद जमीन्दार द्वारा रिर्टन दाखिल नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत जमीन मौजा कैरीडीह खाता नं0 40 प्लॉट नं0 147 भिन्ड एवं प्लॉट नं0 148 आहर बताया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सन् 1960 ई0 में प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी रामगरीब पाण्डेय एवं कार्तिक पाण्डेय के नाम खोली गई है। रामगरीब पाण्डेय इस मामले में अपीलार्थी के दादा बताये गये।

प्रश्नगत जमीन से संबंधित अंचल अधिकारी, जमुआ के पत्रांक 1175 दिनांक 28.10. 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के अनुसार विवरणी निम्नवत् है:--

1. प्रश्नगत जमीन मौजा--कैरीडीह, खाता नं0 40, प्लॉट नं0 148 रकवा 0.16 एकड़ एवं 1.11 एकड़ भूमि खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की है, एवं किस्म जंमीन परती पिण्ड एक अहरा दर्ज है।

2. प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0 88/IV में रामगरीब पाण्डेय वगैरह पिता कोलेश्वर पाण्डेय के नाम से खाता सं0 40 रकवा 1.29 एकड़ लगान 2.50 रूपये अवशेष दर्ज है। तथा लगान रसीद वर्ष 2006--07 तक निर्गत है। रामगरीब पाण्डेय आवेदक छत्रधारी पाण्डेय के दादा है।

3. वर्त्तमान में हल्का में उपलब्ध पंजी II में जमाबंदी वर्ष 1982--83 से कायम किया गया है।
4. पंजी II के परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में पेज नं0 63 से आया दर्ज है।

अभिलेख अवलोकन से निम्नांकित तथ्य परिकलित हुये:--

1. प्रश्नगत जमीन खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खारा किस्म जमीन परती पिण्ड एवं अहरा दर्ज है।
2. प्रश्नगत जमीन भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा सादा हुकुमनामा से प्राप्त है।
3. प्रश्नगत जमीन का जमीन्दारी उन्मूलन के वाद रिर्टन दाखिल नहीं किया गया है।
4. जमाबंदी वगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश से दर्ज है।

विभागीय संकल्प सं0 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म आहर पिण्ड भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में मौजा कैरीडीह थाना नं0 577 खाता नं0 40 प्लॉट नं0 147 एवं

148 रकवा 0.16 एकड़, 1.11 एकड़ कुल 1.27 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म आहर, पिण्ड भूमि की रामगरीब पाण्डेय वगैरह पिता कोलेश्वर पाण्डेय के नाम कायम पंजी II में इन्द्राज प्रविष्टि को बिहार सरकार, राजस्व, एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 15/ल0–3–नीति–27/97 914/रा0 दिनांक 9.12.98 के कंडिका 4 में उल्लेखित निदेश के आलोक में रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख उपायुक्त के समक्ष रखी जाय।

13/1

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह

Digitally signed by Wilson Bengra
Date: 2022.11.23 16:23:09 +05:30
Location: 10.134.234.9